भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1307

उत्तर देने की तारीख: 30.07.2024

अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना

1307. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार दोनों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करते समय क्रीमी लेयर की अवधारणा को समाप्त करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): जी नहीं।

(ग): सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) केन्द्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती और केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण उपलब्ध है।

(ii) ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति - कक्षा I से कक्षा X के छात्रों के लिए।

(iii) ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति - कक्षा XI और कक्षा XII के छात्रों के लिए।

(iv) ओबीसी/ईबीसी हेतु समुद्रपारीय अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर डॉ. अम्बेडकर ब्याज सब्सिडी स्कीम।

(v) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।

(vi) ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(vii) ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता।

(viii) ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरूआत।

(ix) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) का कम ब्याज वाला ऋण/वित्तीय सहायता स्कीमें।

*****